संख्या:63/2018/1516जेएल/22-3-18-100(62)/2018

प्रेषक,

हरि नारायण गिरि,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 ***लखनऊ: दिनांक: 19 जुलाई 2018***

विषय: जिला कारागार, सुलतानपुर में निरूद्ध 03 विचाराधीन बंदियों को प्रशासनिक आधार पर अन्यत्र कारागारों में स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-25417/सामा-1(3ए)/फै0परि0(टी-03)/2018, दिनांक 16-07-2018 एवं जिलाधिकारी,सुलतानपुर के पत्र संख्या-1011/यू0टी0/2018, दिनांक 30-06-2018 में की गयी संस्तुति के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल के प्रस्तर-128 सपठित-409ए में निहित प्राविधानों के अनुसार जिला कारागार, सुलतानपुर में निरूद्ध 03 विचाराधीन बंदियों को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-4 की कारागारों में स्थानान्तरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र.स.	विचाराधीन बंदी का नाम व पिता का नाम	निरूद्धि की वर्तमान कारागार	कारागार का नाम जहॉ स्थानान्तरित किया जाना है।
1	2	3	4
1	सूरज यादव पुत्र श्री राधेश्याम	जि0का0सुलतानपुर	जि0का0कानपुर नगर
2	देवेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र श्री शिव बहादुर सिंह	जि0का0सुलतानपुर	जि0का0उन्नाव
3	कृष्णा विश्वकर्मा पुत्र श्री रामनयन	जि0का0सुलतानपुर	जि0का0 लखनऊ

2- कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही की अनुपालन आख्याशासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

हरि नारायण गिरि
अनु सचिव।

संख्या:63/2018/1516जेएल(1)/22-3-18-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, कानून व्यवस्था, उ0प्र0, पुलिस मुख्यालय, लखनऊ।
3. जिला मजिस्ट्रेट, सुलतानपुर/कानपुर नगर/उन्नाव/लखनऊ।
4. पुलिस अधीक्षक, सुलतानपुर/उन्नाव एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, कानपुर नगर/लखनऊ।
5. अधीक्षक, जिला कारागार, सुलतानपुर/कानपुर नगर/उन्नाव एवं वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, लखनऊ।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

हरि नारायण गिरि
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in